न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

कैम्प रीवा, जिला रीवा, म0प्र0

824
25.11.14

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

R-4167-III/14

चैतमणि पुरी पिता स्व. श्री लक्ष्मण प्रसाद पुरी, निवासी ग्राम शिवपुरा, ग्राम पंचायत देवरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0 ------ निगरानीकर्ता

श्री. मती मन्जू पटेल के द्वारा आज दिनांक 25.11.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1- इन्द्रदेव पिता श्री रामदत्त गोस्वामी, निवासी ग्राम शिवपुर, वृत्त खटखरी, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0,

2- ललिता देवी पिता श्री रामदत्त गोस्वामी,
3- कपिल कुमार पिता श्री रामदत्त गोस्वामी
4- किरण देवी पिता श्री रामदत्त गोस्वामी
5- कंचन देवी पिता श्री रामदत्त गोस्वामी

(सभी निवासी ग्राम शिवपुर, तहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0)

पुश्तैनी निवासी ग्राम सेमरिहा, तहसील लालगंज जिला मिर्जापुर (उ.प्र.)

-----गैरनिगरानीकर्तागण

क्रमांक 3845
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त
4.12.14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा, म0प्र0 के प्रकरण क्र. 137/अन्तरण/13-14, व आदेश दि. 30.9.14 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई.।

==

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

28.11.14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–4163/तीन/15 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश चेतमणिपुरी / इन्द्रमणि गोस्वामी	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–10–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री मती मंजू पटेल उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक–30.9.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है,, जिसमें अपर आयुक्त द्वारा आवेदक के पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन को बिना पर्याप्त कारण दर्शाए सिर्फ इस आधार पर निरस्त किया गया है, कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इस कारण इस न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है । उक्त संबंध में आवेदक द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है । आवेदक द्वारा निगरानी मेंमो मे मुख्य रूप से यह अंकित किया गया है, कि अपर आयुक्त न्यायालय में प्रचलित अंतरण प्रकरण इन्द्रदेव बनाम ललिता देवी में आवेदक एवं अनावेदक गण को गैरनिगराकार के रूप में पक्षकार बनाया गया है, सभी गैरनिगराकार ग्राम किशनपुरा के निवासी नहीं है वह सभी उ0 प्र0 के निवासी है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है । उनके द्वारा यह भी कहा गया, कि आवेदक गण एवं आवेदक गण के परिवार के लोगों का नाम अनावेदक गण के साथ संयुक्त भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिससे संबंधित राजस्व अभिलेख भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, किन्तु इसके बाद भी अभिलेखों पर गौर न करते हुए पक्षकार न बनाया जाकर कानूनी भूल की गयी है । आवेदक द्वारा पक्षकार बनाए जाने का निवेदन करते हुए अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है । निगरानी ममो अंकित तथ्यों तथा प्रस्तुत उपरोक्त तर्को के अनुक्रम में अपर आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक–30.9.114 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह तथ्य प्रकरण हो रहा है, कि अपर आयुक्त द्वारा मात्र यह कहते हुए पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन को खारिज किया गया है, कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पक्षकार नहीं ह, इस कारण आपत्ति कर्ता का आवेदन खारिज किया जाता है अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में आवेदन खारिज किए जाने के संबंध में विस्तृत एवं स्पष्ट तथा बोलता हुआ आदेश पारित न करते हुए आवेदन निरस्त करने के कारणों का ठोस कारण	1

चेतमणि पुरी / इन्द्रदेव गोस्वामी

र. 4163/ती/14 ... टीका

उल्लेख करते हुए आदेश पारित नहीं किया गया है और न ही उनके द्वारा आवेदक के विवादित भूमि में सहकृषक होने संबंधी तथ्य पर ही कोई विश्लेषण किया गया है, जबकि उनको चाहिए था कि वे इस संबंध में सकारण स्पष्ट आदेश पारित करते । आवेदक द्वारा यह भी कहा गया, कि वह विवादित भूमि में आवश्यक पक्षकार होने का पूरा अधिकार रखता है, क्योंकि विवादित सम्पूर्ण भमियों में वह सह खातेदार है ।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक–30.9.14 संक्षिप्त एवं सारहीन होने से निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है, कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या आवेदक विवादित भूमि में सह कृषक है और यदि है तो वह किस प्रकार से पक्षकार बनाए जाने का हित रखता है या हित नहीं रखता है, तदुपरांत विस्तृत एवं बोलता हुआ तथा सकारण सारगर्भित आदेश पक्षकार बनाए जाने के संबंध में पारित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी इस्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकेार सूचित हों । प्र.दा.रि.हो ।

सदस्य